2024 का विधेयक सं. 7

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

(पुन: गठित प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
2025

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

प्रवर समिति का गठन

1. श्री कन्हैयालाल (27) प्रभारी मंत्री	**सभापति**
2. श्रीमती अनिता भदेल (04)	सदस्य
3. श्री बाबूसिंह राठौड़ (101)	सदस्य
4. श्री अर्जुन लाल जीनगर (13)	सदस्य
5. श्री धर्मपाल (83)	सदस्य
6. श्री कैलाश चन्द वर्मा (36)	सदस्य
7. श्री केसाराम चौधरी (35)	सदस्य
8. श्री गोविन्द प्रसाद (48)	सदस्य
9. श्री छगनसिंह राजपुरोहित (54)	सदस्य
10. श्री हरलाल सहारण (191)	सदस्य
11. डॉ. सुरेश धाकड़ (182)	सदस्य
12. श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ (156)	सदस्य
13. श्री छोटू सिंह (55)	सदस्य
14. श्री रोहित बौहरा (139)	सदस्य
15. श्री राजेन्द्र पारीक (129)	सदस्य
16. श्री मनीष यादव (111)	सदस्य
17. श्री समरजीत सिंह (174)	सदस्य
18. श्री नरेन्द्र बुडानियां (84)	सदस्य
19. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) (113)	सदस्य
20. श्री थावर चन्द (75)	सदस्य
21. डॉ. प्रियंका चौधरी (96)	सदस्य

सचिवालय:-

1. श्री भारत भूषण शर्मा	प्रमुख सचिव
2. श्री नन्द किशोर शर्मा	उप सचिव (विधान)
3. श्री छवि प्रकाश	सहायक सचिव
4. श्री रघुवीर भूषण दाधीच	अनुभाग अधिकारी

<u>शासकीय प्रतिनिधि:-</u>

1. श्री अखिल अरोड़ा	अति. मुख्य सचिव, जन स्वा.अभि. एवं भू-जल विभाग, जयपुर।
2. श्री बृजेन्द्र जैन	प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, जयपुर।
3. सुश्री मेघना जैन	एस.एस. विधि विभाग, जयपुर।
4. श्री आर. के मिश्रा	एस.ई., भू-जल विभाग, जयपुर।

मैं, सभापति, प्रवर समिति, जिसे प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 निर्दिष्ट किया गया था, समिति की ओर से प्रतिवेदन करने हेतु प्राधिकृत किये जाने पर प्रवर समिति का यह प्रतिवेदन, उसके यथासंशोधित विधेयक सहित प्रस्तुत करता हूँ:-

यह विधेयक राजस्थान विधान सभा में दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक के प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर यह विधेयक दिनांक 1 अगस्त, 2024 को प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सदन द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। प्रथम प्रवर समिति का गठन दिनांक 17 सितम्बर, 2024 को किया गया जिसमें सभापति सहित कुल 17 सदस्य शामिल किये गये। प्रथम प्रवर समिति की कुल 4 बैठकें हुई, जिसमें समिति ने विधेयक पर खण्डश: विचार किया। समिति ने अपनी बैठकों में गहन विचार-विमर्श करते हुए कतिपय संशोधन प्रस्तावित किये थे। प्रथम प्रवर समिति का प्रतिवेदन दिनांक 25 फरवरी, 2025 को सदन में उपस्थापित किया गया ।

विधेयक के प्रभारी मंत्री के प्रस्ताव पर यह विधेयक दिनांक 19 मार्च, 2025 को पुन: प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु सदन द्वारा निर्दिष्ट किया गया था। परन्तु इस प्रस्ताव में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं होने के फलस्वरूप राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 224(1) के प्रथम परन्तुक के अंतर्गत 'प्रतिवेदन के लिए यदि कोई समयावधि सदन द्वारा निर्धारित नहीं की गई हो तो समिति को अपना प्रतिवेदन तीन माह की अवधि में उपस्थापित करना होता है।' उक्त अवधि दिनांक 18 जून, 2025 को समाप्त हो रही थी। कतिपय कारणों से प्रवर समिति का गठन नहीं होने के फलस्वरूप इस विधेयक पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अत: समिति ने दिनांक 21 अगस्त, 2025 की बैठक में प्रतिवेदन के उपस्थापन की समयावधि आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढाने हेतु माननीय अध्यक्ष को निवेदन करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष ने प्रतिवेदन को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक उपस्थापित करने हेतु अपनी अनुमति प्रदान कर दी।

पुन: गठित प्रवर समिति द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2025 की बैठक में विधेयक पर खण्डश: विचार-विमर्श प्रारम्भ किया गया। समिति की कुल दो बैठकें हुई।

राजस्थान जल की कमी वाला राज्य है। जल के लिए बढ़ती हुई मांग के साथ ही मांग और पूर्ति के बीच असंतुलन है, जो दिन-प्रतिदिन गहराता जा रहा है। विभिन्न सेक्टरों अर्थात् कृषि, औद्योगिक, घरेलू, वाणिज्यिक इत्यादि के बीच जल के लिए प्रतियोगी मांगें हैं। अत्यधिक विदोहन के कारण, भू-जल की स्थिति संकटपूर्ण है। गतिशील भू-जल संसाधन आकलन 2023 के अनुसार, राज्य के 216 ब्लॉक अत्यधिक विदोहित प्रवर्ग में हैं।

उक्त चिंता के विषय पर प्रभावी रूप से ध्यान देने के क्रम में, राजस्थान राज्य के भीतर भू-जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध करने के लिए, इनके प्रबंध, विनियमन के माध्यम से भू-जल संसाधनों का उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, भू-जल निकासी के उपयोग के लिए दरें नियत करने और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने के लिए ऐसे विधेयक की आवश्यकता है।

प्रवर समिति का पुन: गठन दिनांक 18 जुलाई, 2025 को किया गया। प्रवर समिति ने अपनी बैठकों में गहन विचार-विमर्श कर कतिपय और संशोधन प्रस्तावित किये है। इसमें संलग्न संशोधन राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024 में प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित है।

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में समिति की निरूक्तियां उत्तरवर्ती कण्डिकाओं में दी गई है।

प्रथम प्रवर समिति द्वारा प्रस्तावित संशोधन

विधेयक के द्वितीय पैरा में प्रयुक्त शब्द "पचहत्तरवें" के स्थान पर शब्द "छिहत्तरवें" प्रतिस्थापित किया गया है।

खण्ड 3

1. खण्ड 3(3) के बिन्दु संख्या 1. की दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "शासन सचिव" के पश्चात एवं शब्द "के रूप में" से पूर्व शब्द **"/मुख्य अभियंता**, **भू-जल विभाग"** अन्त:स्थापित किया गया है।

2. खण्ड 3(3) 1. एवं 3(3) 2. के मध्य नई पंक्ति **"3(3) 2. विधानसभा के दो सदस्य - सदस्य;"** अन्त:स्थापित की गयी है।
3. खण्ड 3(3) 1. के पश्चात नई पंक्ति **"3(3)** 2. अन्त:स्थापित किये जाने के फलस्वरूप खण्ड 3(3) के सभी बिन्दुओं की क्रम संख्या में एक अंक की बढ़ोतरी अर्थात् **2 के स्थान पर 3 एवं 3 के स्थान पर 4........ एवं अंतिम बिन्दु संख्या 14 के स्थान पर 15** प्रतिस्थापित की गयी है।

खण्ड 4

4. खण्ड 4(1) की पांचवी पंक्ति में प्रयुक्त शब्द **"**चुका हो**"** के पश्चात एवं चिन्ह "।" के पूर्व "**या मुख्य अभियंता**, **भू-जल विभाग के रूप में सेवारत रहते हुए उस पद पर तीन वर्ष का अनुभव रखता हो**" अन्त:स्थापित किया गया है।
5. खण्ड 4(2) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द **"**सदस्यों**"** के पश्चात एवं शब्द **"**से भिन्न**"** के पूर्व शब्द "**तथा विधान सभा के सदस्यों**" अन्त:स्थापित किया गया है।

खण्ड 5

6. खण्ड 5(1) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''**कोई भी व्यक्ति**'' के पूर्व **"पदेन सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले विधान सभा के सदस्यों से भिन्न"** अन्त:स्थापित किया गया है।

खण्ड 13

7. खण्ड 13(3) (च) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द **"**ऊर्जा के**"** के पश्चात एवं शब्द **"**साधनों**"** के पूर्व शब्द **"किसी भी प्रकार के"** अन्त:स्थापित किया गया है।

खण्ड 14

8. खण्ड 14 की चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द **"**करेगा**"** के पश्चात एवं चिन्ह "।" से पूर्व शब्द **", तथापि, कृषि प्रयोजन के लिए भू-जल निकासी हेतु अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी"** अन्त:स्थापित किया गया है।

खण्ड 19

9. खण्ड 19 की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द ''**अप्राधिकृत कार्य.-" के पश्चात् एवं शब्द** ''**कोई व्यक्ति**'' से पूर्व **(1)** अन्त:स्थापित किया गया है।

10. खण्ड 19(**vii**) के पश्चात् नवीन उपखण्ड **"(2) कोई भी निकाय या व्यक्ति**, **जो इस धारा के अधीन समान प्रकृति के अप्राधिकृत कार्य के उल्लंघन का पुन: दोषी पाया जाता है तो द्‌वितीय तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अप्राधिकृत कार्य के लिए उप-धारा (1) के अधीन यथाविहित शास्ति के पाँच गुणा का दायी होगा।**'' अन्त:स्थापित किया गया है।

<u>पुन: गठित प्रवर समिति द्‌वारा प्रस्तावित संशोधन</u>

खण्ड 14

1. प्रवर समिति द्‌वारा प्रतिवेदित खण्ड 14 की तृतीय पंक्ति में विद्‌यमान अभिव्यक्ति **"**के लिए**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**की**"** तथा अभिव्यक्ति **"**हेतु**"** के स्थान पर अभिव्यक्ति **"**के लिए**"** एवं पांचवी पंक्ति में विद्‌यमान अभिव्यक्ति ''**तथापि**, **कृषि प्रयोजन के लिए भू-जल निकासी हेतु अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी।**'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''**तथापि**, **राज्य सरकार द्‌वारा लोकहित में यथा अधिसूचित शर्तों या प्रयोजनों के लिए**, **भू-जल निकासी हेतु ऐसी कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी।**'' प्रतिस्थापित की गई है।

जयपुर, ह.

दिनांक- **01** सितम्बर, 2025 (कन्हैया लाल)

सभापति

<u>2024 का विधेयक सं. 7</u>

राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

[पुन: गठित प्रवर समिति द्वारा यथासंशोधित]

नोट:- प्रथम प्रवर समिति द्वारा समस्त विलोपित सामग्री एक-वर्गाकार-कोष्ठक और अन्त:स्थापित नई सामग्री रेखांकित की गई है; जबकि पुन: गठित प्रवर समिति द्वारा समस्त विलोपित सामग्री दो-वर्गाकार-कोष्ठकों और अन्त:स्थापित नई सामग्री गहरे तिरछे शब्दों में दर्शायी गई है।

राजस्थान राज्य के भीतर भू-जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध करने, इनका विनियमन करने, प्रबंध के माध्यम से भू-जल संसाधनों का उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय उपयोग सुनिश्चित करने, भू-जल निकासी के उपयोग के लिए दरें नियत करने के लिए, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के [पचहत्तरवें] <u>छिहत्तरवें</u> वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन स्थापित राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ख) “उपयोग का प्रवर्ग” से भू-जल संसाधनों का भिन्न-भिन्न प्रयोजनों जैसे पेयजल, घरेलू, सिंचाई, औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग अभिप्रेत है और इसमें ऐसे अन्य प्रयोजन, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, सम्मिलित हैं;

(ग) “अध्यक्ष” से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) “निकाय” से किसी विधि के अधीन स्थापित कोई संगठन या प्राधिकरण, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका और केन्द्र सरकार या राजस्थान सरकार या उनके किसी भी विभाग द्वारा स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या निगम सम्मिलित है, अभिप्रेत है;

(ङ) “सरकार” से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) “भू-जल” से ऐसा जल, जो अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहते हुए, जहां वह संतृप्त परिक्षेत्र में भूमि की सतह के नीचे विद्यमान है, जहां से यह कुओं या किन्ही अन्य साधनों के माध्यम से निकाला जा सकता है या जो जलधाराओं और नदियों में झरनों और आधारभूत प्रवाहों के रूप में निकलता है, अभिप्रेत है;

(छ) “सदस्य” से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ज) “व्यक्ति” में कोई व्यष्टि, कोई कंपनी, कोई फर्म, व्यष्टियों का कोई संगम या व्यष्टियों का कोई निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित हैं;

(झ) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ञ) “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

(ट) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;

(ठ) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;

(ड) "अधो-धरातलीय हकदारी" से सिंचाई परियोजना के कमान क्षेत्र में किसी नलकूप, बोर कुएं या अन्य कुएं से या अधो-धरातलीय जल निकासी के किसी भी अन्य साधन द्वारा निकाले जाने वाले या प्राधिकरण द्वारा विहित मानकों के अनुसार सम्यक् और वैध रूप से अनुज्ञात, रजिस्ट्रीकृत और सन्निर्मित किसी समूह या क्षेत्र या कुओं से निकाले जाने वाले जल की आयतनमूलक मात्रा की व्यष्टिक या बल्क जल हकदारी अभिप्रेत है;

(ढ) "आयतन मूलक" से आयतन के आधार पर जल का माप अभिप्रेत है;

(ण) "जल" से भू-जल अभिप्रेत है; और

(त) "जल अवसंरचना" से जल निकासी या संचयन या संरक्षण की कोई संरचना अभिप्रेत है।

3. प्राधिकरण की स्थापना और निगमन.- (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाये, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण नाम से एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) प्राधिकरण, उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसको जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन करने की और संविदा करने की और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त बातें करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद ला सकेगा या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-

1.	वह व्यक्ति, जिसने मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख	अध्यक्ष;

	सचिव/शासन सचिव/ मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग के रूप में सेवा की है	
2.	विधान सभा के दो सदस्य	सदस्य;
[2]3.	शासन सचिव, भू-जल विभाग	पदेन सदस्य;
[3]4.	शासन सचिव, वित्त विभाग	पदेन सदस्य;
[4]5.	मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[5]6.	निदेशक/आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[6]7.	निदेशक/आयुक्त, उद्यानिकी विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[7]8.	सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	पदेन सदस्य;
[8]9.	मुख्य अभियंता (ग्रामीण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[9]10.	मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[10]11.	निदेशक/आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[11]12.	क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भू-जल बोर्ड, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[12]13.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, राजस्थान	पदेन सदस्य;
[13]14.	राजस्थान राज्य में भू-जल प्रबंध पर दीर्घकालिक कार्य करने का अनुभव रखने वाले दो विषय विशेषज्ञ	सदस्य;

[14]15. सचिव, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण — सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "प्रभारी सचिव" से उस विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, सम्मिलित है जब वह उस विभाग का प्रभारी हो।

(4) प्राधिकरण के अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न अन्य सदस्य सरकार द्वारा, ऐसी रीति से, नामनिर्देशित किये जायेंगे, जैसी कि विहित की जाये।

(5) प्राधिकरण, अध्यक्ष या सदस्य की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाये जाने के कारण होने वाली किसी रिक्ति की तारीख से एक मास के भीतर-भीतर और किसी सदस्य की पदावधि की समाप्ति से छह मास पूर्व, उस रिक्ति को भरने का सरकार को निर्देश करेगी।

(6) प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर में होगा।

4. अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं.- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा, जो जल संसाधन प्रबंध और प्रशासन से जुड़े विज्ञान और प्रौद्योगिकी/अभियांत्रिकी मामलों के क्षेत्र में अनुभव रखने के साथ, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/शासन सचिव के रूप में सेवारत रह चुका हो या मुख्य अभियंता, भू-जल विभाग के रूप में सेवारत रहते हुए उस पद पर तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

(2) पदेन सदस्यों तथा विधान सभा के सदस्यों से भिन्न सदस्य योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगें, जिनके पास विज्ञान और प्रोद्योगिकी या भू-जल संसाधनों से संबंधित विज्ञान, प्रौद्योगिकी या अभियांत्रिकी मामलों सहित जल संसाधनों के प्रबंध से निपटने में न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव हो।

5. अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि, वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें:- (1) पदेन सदस्य तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले विधान सभा के सदस्यों से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने या तीन वर्ष की अधिकतम दो पदावधियों, इनमें से जो भी पहले हो, के पश्चात अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(2) अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि विहित की जायें।

(3) अध्यक्ष और सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) उप-धारा (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य,-

(i) सरकार को तीन मास से अन्यून अवधि का लिखित नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ii) धारा 6 के उपबंधों के अनुसार उसे पद से हटाया जा सकेगा।

6. अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य का हटाया जाना.- (1) सरकार, जांच संस्थित कर सकेगी और पदेन सदस्य से भिन्न अध्यक्ष या किसी सदस्य को निष्कर्षों के आधार पर आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगी, यदि अध्यक्ष या, यथास्थिति, ऐसा सदस्य,-

(i) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो चुका हो; या

(ii) ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका है, जिसमें, सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(iii) शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया है; या

(iv) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर चुका है, जिससे अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके कृत्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; या

(v) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल हो गया है; या

(vi) यदि उप-धारा (3) के अधीन कोई घोषणा मिथ्या या असत्य पायी गयी है; या

(vii) कोई अन्य आधार, जैसा कि विहित किया जाये:

परंतु अध्यक्ष या किसी सदस्य को खण्ड (iv) से (vii) के अधीन उसके पद से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना, हटाया नहीं जायेगा।

(2) सरकार, अध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के विरुद्ध उप-धारा (1) में, यथावर्णित, जांच की कालावधि के दौरान, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने से निलंबित कर सकेगी।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, नामनिर्देशन के पश्चात, यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष, ऐसे प्ररूप में और रीति से, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकरण के कार्यों से संबद्ध या उससे संबंधित अपने हित के विस्तार की घोषणा करेगा, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो और चाहे वह धनीय हो या अन्यथा और इस प्रकार की गयी घोषणा को प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखा जायेगा।

7. प्राधिकरण के कर्मचारिवृन्द.- (1) सरकार, भू-जल विभाग के मुख्य अभियंता को ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन

करने के लिए, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्राधिकरण के सचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी। सचिव का पद भू-जल विभाग में संवर्ग बाह्य पद होगा।

(2) सचिव का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसीकि विहित की जायें।

(3) प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद को ऐसी रीति से और ऐसी अर्हताओं और अनुभव के साथ नियुक्त कर सकेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(4) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसीकि विहित की जायें।

(5) प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से समय-समय पर, किसी सरकारी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकेगी या भू-जल सेक्टर, प्रशासन या अभियांत्रिकी क्षेत्र में के किसी विशेषज्ञ को, जैसा आवश्यक समझा जाये, अस्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगा, जैसाकि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकरण के कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, सलाहकारों, गैर-सरकारी संगठन या तृतीय पक्ष एजेंसियों को, अस्थायी आधार पर, नियुक्त कर सकेगा या भाड़े पर रख सकेगा।

8. प्राधिकरण की कार्यवाहियां.- (1) प्राधिकरण की बैठक, ऐसे समय पर, जैसाकि अध्यक्ष निदेश दे, मुख्यालय पर होगी और वह इसकी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जैसा कि विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) प्राधिकरण की बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति, उसके सदस्यों के एक तिहाई से कम नहीं होगी।

(3) अध्यक्ष, यदि वह प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन के अभाव में या जहां कोई अध्यक्ष नहीं है, वहां उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चुना गया कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) प्राधिकरण की किसी भी बैठक में उसके समक्ष आने वाले समस्त विवाद्यक, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे, और मतों के बराबर रहने की स्थिति में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को द्वितीय या निर्णायक मत का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

(5) उप-धारा (4) में, यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा।

(6) अध्यक्ष के बीमार होने के कारण या अन्यथा एक मास से अधिक की कालावधि के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने की दशा में, सरकार अध्यक्ष के नियुक्त किये जाने या उसके काम पर वापस आने तक अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, सदस्यों में से किसी एक को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(7) प्राधिकरण के समस्त आदेश और विनिश्चय, सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये प्राधिकरण के किसी अन्य अधिकारी द्वारा, अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

(8) यदि पदेन सदस्य प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो वह, बैठक में उपस्थित होने के लिए, उप-सचिव से अनिम्न रैंक के किसी अधिकारी को नामनिर्देशित करेगा।

9. रिक्ति इत्यादि से कार्य या कार्यवाहियों का अविधिमान्य नहीं होना.- प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां प्राधिकरण में केवल किसी रिक्ति के होने या उसके गठन में किसी त्रुटि के आधार पर ही प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं की जायेंगी।

10. जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति.- (1) राज्य के प्रत्येक जिले में एक जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति होगी, जो जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना तैयार करेगी।

(2) जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति की संरचना ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाये।

(3) जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध समिति, भू-जल विभाग को, जिला भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना प्रस्तुत करेगी और धारा 13 के अधीन प्राधिकरण के समस्त निदेशों का निष्पादन करेगी।

11. राज्य भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना.- (1) भू-जल विभाग, अन्य संबद्ध विभागों से परामर्श करके, जलभृत सहित जल संसाधनों के संबंध में उत्तरोत्तर उपलब्ध जानकारी को ध्यान में रखते हुए, राज्य भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना तैयार करेगा:

परंतु भू-जल विभाग, राज्य भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व योजना को प्राधिकरण के समक्ष मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) प्राधिकरण, राज्य भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना का मूल्यांकन और आकलन करेगा।

(3) भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना का उद्देश्य, भू-जल संसाधनों की वहनीयता और संवर्धन प्राप्त करना होगा।

12. राज्य भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना का पुनर्विलोकन.- (1) प्राधिकरण, धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना से तीन वर्ष के भीतर और तत्पश्चात्, जब कभी अपेक्षित हो, राज्य की भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना का पुनर्विलोकन करेगा।

(2) सरकार, प्राधिकरण की सिफारिश पर, यदि आवश्यक समझे, भू-जल स्तर में नि:शेषण की प्रवृत्ति, जल सारणी का स्तर, भू-जल की गुणवत्ता, धरातलीय जल की उपलब्धता या अन्य सुसंगत मानदंडों के आधार पर, भू-जल संसाधन प्राक्कलन समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों से

अन्यथा, जैसा कि वह स्थानीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए समुचित समझे, राज्य को विभिन्न प्रवर्गों में विभाजित कर सकती है:

परंतु जब तक इस संबंध में किसी सूचना का प्रकाशन और आपत्तियां यदि कोई हो, का निश्चित नहीं हो जाता है, वर्गीकरण प्रभावी नहीं होगा।

(3) प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, वार्षिक रूप से या ऐसी कालावधियों पर, जैसा कि प्राधिकरण आवश्यक समझे, राज्य को भू-जल संसाधन सम्भाव्यता, उपयोग और पुनर्भरण के क्षेत्रों में प्रवर्गीकरण के प्रयोजन से क्षेत्रीय अध्ययन संचालित कर सकेगा या संचालित करवा सकेगा।

(4) उप-धारा (2) के अधीन प्रवर्गीकरण के आधार पर, प्राधिकरण राज्य के भीतर किसी भी क्षेत्र के लिए ऐसी रीति से सुझाव/सलाह देगा, जैसा कि विहित किया जाये और इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल की मांग और प्रदाय के समस्त पहलुओं का समावेश होगा।

(5) प्राधिकरण, सरकार या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी प्राधिकारी के समक्ष सलाह/सुझाव रखेगा, जिन्हें ऐसे उपांतरों सहित, जैसा कि आवश्यक समझा जाये, पूर्वोक्त उपांतरणों के अनुमोदन की तारीख से छह मास की कालावधि के भीतर-भीतर इन्हें अनुमोदित किया जा सकेगा।

13. प्राधिकरण की शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य.- (1) प्राधिकरण, धारा 14 के अधीन अनुज्ञाएं प्रदान करने के लिए या इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा और सरकार से अनुमोदित करवायेगा।

(2) जब भू-जल विभाग से राज्य भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना प्राप्त होगी तो, उसका मूल्यांकन और आकलन करेगा। यह जब कभी अपेक्षित हो, योजना का, पुनर्विलोकन करेगा।

(3) प्राधिकरण, सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भू-जल संरक्षण और प्रबंध योजना के अनुसार, भू-जल संसाधनों के विकास, उपयोग, संरक्षण

और प्रबंध के संबंध में, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जैसा कि विहित किया जाये, नोटिस देकर, यदि कोई हो, निदेश जारी कर सकेगा, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात:-

(क) विद्यमान भू-जल निकासी संरचनाओं का प्रचालन और उनके नियमितीकरण की शर्तें;

(ख) भू-जल के उपयोग पर निर्बंधन;

(ग) ऐसे क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट करना, जिनमें औद्योगिक प्रचालनों या प्रक्रियाओं सहित भू-जल उपयोक्ताओं, भू-जल का उपयोग नहीं करेंगे या कतिपय शर्तों और रक्षोपायों के अध्यधीन करेंगे;

(घ) प्राधिकरण या दी गयी कालावधि के भीतर, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी ऐसे निकाय के साथ समस्त प्रकार के ड्रिलिंग रिगों का रजिस्ट्रीकरण;

(ड.) रजिस्ट्रीकरण के बिना, भू-जल निकासी के लिए ड्रिल की गयी या पहले से खोदी गयी संरचनाएं;

(च) ऊर्जा के किसी भी प्रकार के साधनों के माध्यम से, भू-जल निकासी करने वाले उपयोक्ताओं को प्राधिकरण या दी गयी कालावधि के भीतर, प्राधिकरण द्वारा, विनिर्दिष्ट, किसी अन्य निकाय के साथ, निकासी संरचना को रजिस्टर कराना;

(छ) भू-जल का दक्षतापूर्ण उपयोग और जल के अपव्यय या दुरुपयोग को कम करना तथा जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ाना;

(ज) विभिन्न हितधारकों के बीच भू-जल की गुणवत्ता और स्तर को मापने के लिए और भू-जल निकासी की मात्रा के आयतन मूलक माप के लिए उपकरणों का प्रतिष्ठापन और अनुरक्षण;

(झ) वर्षा जल संचयन सहित जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण;

(ञ) अन्य कोई निदेश, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझे जायें।

(4) प्राधिकरण, भू-जल और उसके प्रबंध के बारे में, जन जागरूकता पैदा करने के लिए वैज्ञानिक आंकड़ों और सूचना का प्रचार करने के लिए ऐसी रिपोर्टें प्रकाशित कर सकेगा या प्रकाशित करवा सकेगा।

(5) प्राधिकरण द्वारा जारी हकदारियों के अनुपालन में, भू-जल उपयोग के प्रकार और उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए और उसके प्रवर्तन, निगरानी के लिए एक प्रणाली की स्थापना करने के लिए प्राधिकरण, सरकार को सिफारिशें करेगा।

(6) प्राधिकरण, ग्रामीण जल प्रदाय, नगरपालिक जल प्रदाय या औद्योगिक/वाणिज्यिक जल प्रदाय के लिए बल्क जल हकदारी की सिफारिश करेगा।

(7) प्राधिकरण को, भू-जल से संबंधित या उसमें अंतर्वलित किसी भी विषय का स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने और सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

14. अनुज्ञाएं.- कोई भी निकाय या व्यक्ति, जो भू-जल का उपयोग करने का आशय रखता है, प्रस्तावित और विद्यमान भू-जल निकासी संरचनाओं [[के लिए]] ***की*** अनुज्ञाओं [[हेतु]] ***के लिए*** प्राधिकरण को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, ऐसी फीस के साथ, जैसा कि विहित किया जाये, आवेदन करेगा, [[तथापि, कृषि प्रयोजन के लिए भू-जल निकासी हेतु अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी।]] ***तथापि, राज्य सरकार द्वारा लोकहित में यथा अधिसूचित शर्तों या प्रयोजनों के लिए, भू-जल निकासी हेतु ऐसी कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी।***

15. निर्बंधनों का शिथिलीकरण.- सरकार, प्राधिकरण के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी भी निर्बंधन को शिथिल कर सकेगी।

16. भू-जल के उपयोग या निपटान के लिए टैरिफ.- (1) प्राधिकरण, सरकार को भू-जल के समस्त उपयोगों के लिए एक टैरिफ की सिफारिश करेगा।

(2) टैरिफ, प्राधिकरण द्वारा मितव्ययिता, दक्षता, साम्या और वहनीयता के सिद्धांतों पर आधारित होगा, और ऐसी रीति से, जैसी कि विहित की जाये, अवधारित किया जायेगा। टैरिफ, यथासंभव, जल उपभोग के आयतनमूलक माप पर आधारित होगा और इसे युक्तियुक्त रूप से, डिजाइन किया जायेगा।

(3) टैरिफ, सरकार के अनुमोदन के पश्चात् आवश्यकता/ विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार पुनरीक्षित किया जायेगा।

17. जांच अधिकारी नियुक्त करने की प्राधिकरण की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, अपने अधिकारीयों में से किसी को या सरकार के परामर्श से, ऐसे अधिकारी को जिसे सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाये, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच को करने के प्रयोजनों के लिए जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, प्राधिकरण को स्वयं के द्वारा किसी जांच को संचालित करने से नहीं रोकेगी।

(2) प्राधिकरण या उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त जांच अधिकारी को निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगीं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:-

(i) किसी व्यक्ति को समन भिजवाना और उपस्थित करवाना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ii) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और पेश किया जाना आवश्यक करना;

(iii) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(v) साक्षियों की परीक्षा के लिए समन जारी करना।

(3) जांच अधिकारी, जांच के निष्कर्ष पर, प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परन्तु, जांच अधिकारी, जब कभी, प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो, प्राधिकरण को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(4) प्राधिकरण, प्राधिकरण द्वारा की गयी जांच के निष्कर्ष पर या जांच अधिकारी से अन्तिम या अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जैसाकि वह उचित समझे।

18. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.- धारा 17 के अधीन, जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर, ऐसी सहायता के साथ, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी स्थान में, यह अवधारित करने के लिए कि क्या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिये गये आदेशों या निदेशों का अनुपालन किया जा रहा है, यदि ऐसा है, तो उसकी रीति क्या है, प्रवेश करने का अधिकार होगा।

19. अप्राधिकृत कार्य.- (1) कोई व्यक्ति या निकाय, अप्राधिकृत कार्यों के लिए ऐसी शास्ति, के लिए दायी होंगे, जैसी कि विहित की जाये, यदि ऐसा व्यक्ति या निकाय,-

(i) ऐसे क्षेत्रों में, जहां, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी अनुज्ञा अपेक्षित है, वहां बिना अनुज्ञा के नयी भू-जल

निकासी संरचना का निर्माण या संस्थापन करता है या विद्यमान संरचनाओं में परिवर्तन करता है;

(ii) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित किन्हीं निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण करता है;

(iii) भू-जल की गुणवत्ता को विदोहित या निम्नीकृत या प्रदूषित करता है या भू-जल की गुणवत्ता के निम्नीकरण करने के क्रम में अपहानि करता है या अपहानि करवाता है;

(iv) पूर्व अनुज्ञा, जैसी कि विहित की जाये के बिना भू-जल की निकासी के लिए ड्रिल या खुदाई करता है;

(v) जल अवसंरचना के संकर्मों में डालता है या प्रतिबाधा का दुष्प्रेरण करता है;

(vi) किसी जल अवसंरचना को क्षति पहुंचाता है या क्षति पहुंचवाता है या क्षति पहुंचाने के लिए का दुष्प्रेरण करता है; और

(vii) ऐसे कृत्य कारित करता है या ऐसी शर्तों का अतिक्रमण करता है, जैसा कि विहित किया जाये।

(2) कोई भी निकाय या व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन समान प्रकृति के अप्राधिकृत कार्य के उल्लंघन का पुन: दोषी पाया जाता है तो द्वितीय तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अप्राधिकृत कार्य के लिए उप-धारा (1) के अधीन यथाविहित शास्ति के पाँच गुणा का दायी होगा।

20. **अप्राधिकृत कृत्यों का शमन.-** (1) प्राधिकरण, ऐसी शास्ति, जैसी कि विहित की जाये, के संदाय पर किसी अप्राधिकृत कार्य का शमन कर सकेगा। शास्ति की रकम प्राधिकरण के पास जमा करवायी जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट शास्ति का संदाय करने पर, अप्राधिकृत कृत्य कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध, उसी कृत्य के संबंध में आगे कोई और कार्यवाहियां नहीं की जायेगी और कोई कार्यवाहियां यदि पूर्व में की जा चुकी हैं या आरंभ हो चुकी हैं, तो उनका उपशमन हो जायेगा।

21. कंपनियों द्‌वारा अपराध.- (1) जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्‌वारा कारित किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो उस समय, जब अपराध कारित किया गया था, और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी था उसके प्रति उत्तरदायी था, साथ ही वह कंपनी उस अपराध की दोषी समझी जायेगी और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही के किये जाने और दंडित किये जाने के लिए दायी होगी:

परन्तु इस उप-धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन उपबंधित दण्ड का दायी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के कारित किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्‌वारा कारित किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार, अपने विरूद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के लिए दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें कोई फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मिलित है;

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है, और व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय के संबंध में, उसके कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाला कोई सदस्य अभिप्रेत है।

22. अपराधों के लिए दण्ड.- जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये किसी निदेश या आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या उल्लंघन करता है या उसके उल्लंघन या अननुपालन का दुष्प्रेरण करता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन कारित अपराध किया हुआ समझा जायेगा और दोषसिद्धि पर,-

(i) प्रथम अपराध के लिए, पचास हजार रुपये तक का जुर्माना; और

(ii) पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से;

दंडनीय होगा।

23. अपराधों का संज्ञान.- कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण द्वारा या प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, लिखित में की गयी किसी शिकायत के सिवाय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

24. प्राधिकरण की निधि.- (1) राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण निधि के नाम से प्राधिकरण एक पृथक निधि रखेगा और उसका संधारण करेगा, जिसमें निम्नलिखित, अर्थात्:-

(i) सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकरण को दिए गए किन्हीं अनुदानों और ऋणों या सरकार की पूर्व

सहमति से किसी वित्तीय एजेंसी से लिये गये ऋणों को;

(ii) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त फीसों, प्रभारों और शास्तियों को; और

(iii) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त राशियाँ, जिन्हें सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाये को;

जमा किया जायेगा।

(2) इस निधि का उपयोग,-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक के लिए;

(ii) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में प्राधिकरण के खर्चे के लिए; और

(iii) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए उपगत व्यय;

को पूरा करने केलिए उपयोजित किया जायेगा।

(3) सरकार, उप-धारा (2) के खंड (ii) और खंड (iii) में उल्लिखित खर्चों को पूरा करने के लिए निधि के उपयोजन की रीति विहित करेगी।

(4) निधि का संधारण निजी निक्षेप खाते में या जैसा सरकार द्वारा निदिष्ट किया जाये, किया जायेगा।

25. लेखे और संपरीक्षा.- (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखेगा और तुलनपत्र सहित, लेखों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) प्राधिकरण के लेखे राजस्थान के प्रधान महालेखाकार/ राजस्थान के महालेखाकार द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी खर्च प्राधिकरण द्वारा संदेय होगा।

(3) राजस्थान के प्रधान महालेखाकार/राजस्थान के महालेखाकार और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, राजस्थान के प्रधान महालेखाकार/राजस्थान के महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में प्राप्त होते हैं और उसे विशेष रूप से प्राधिकरण की पुस्तकों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों और पेपरों को प्रस्तुत करने की मांग करने का और कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) राजस्थान के प्रधान महालेखाकार/राजस्थान के महालेखाकार या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित प्राधिकरण के लेखाओं के साथ-साथ, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट, और इस प्रकार की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई पर स्पष्टीकारक ज्ञापन वार्षिक रूप से, सरकार को अग्रेषित किये जायेंगे और सरकार उनकी एक प्रति राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखवायेगी।

(5) प्राधिकरण, उप-धारा (4) के अधीन राज्य विधान-मंडल के समक्ष रिपोर्ट रखे जाने के पश्चात्, प्राधिकरण के लेखाओं के साथ-साथ संपरीक्षा रिपोर्ट और स्पष्टीकारक ज्ञापन को, प्राधिकरण की वेबसाइट पर डलवाएगा।

26. वार्षिक रिपोर्ट.- (1) प्राधिकरण, प्रत्येक वर्ष, उस वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगा और वार्षिक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से और ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जैसा कि विहित किया जाये सरकार को प्रस्तुत करेगा और सरकार उस रिपोर्ट को राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष रखवायेगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में राहत अध्युपायों पर वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन की स्थिति, कार्यान्वयन में अंतरालों और कमियों, यदि कोई हों, के साथ क्रियान्वित की गयी स्कीमें और ऐसी कमी के कारण एक स्पष्टीकारक ज्ञापन, भी सम्मिलित होगा।

(3) प्राधिकरण, उप-धारा (1) के अधीन राज्य विधान-मंडल के समक्ष रिपोर्ट रखे जाने के पश्चात्, स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित रिपोर्ट, प्राधिकरण की वेबसाइट पर डलवायेगा।

27. सरकार द्वारा निदेश.- (1) सरकार, प्राधिकरण को ऐसे नीतिगत मामलों में जिनमें लोक हित अंतर्वलित हो, लिखित में, ऐसे साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगी और ऐसे निदेशों का अनुसरण करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण बाध्य होगा।

(2) यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि ऐसे किसी निदेश में लोक हित से संबंधित नीतिगत मामला अंतर्वलित है, तो उस पर सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

28. प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद का लोक सेवक होना.- प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, और इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक अन्य अधिकारी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

29. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

30. नियम बनाने की शक्ति.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

31. विनियम बनाने की शक्ति.- प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित समस्त या किन्हीं मामलों के लिए, विनियम बना सकेगा, जो प्राधिकरण की राय में, इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हैं।

32. अन्य विधियों का प्रभाव.- (1) इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी प्रभावी होंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।

33. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गयी प्रत्येक अधिसूचना, उसके इस प्रकार जारी किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखी जायेगी।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य के भीतर भू-जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंध करने, इनका विनियमन करने, प्रबंध के माध्यम से भू-जल संसाधनों का उचित, साम्यापूर्ण और वहनीय उपयोग सुनिश्चित करने, भू-जल निकासी के उपयोग के लिए दरें नियत करने के लिए, राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए विधेयक।

(जैसाकि पुन: गठित प्रवर समिति द्‌वारा प्रतिवेदित किया गया)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

<u>Bill No. 7 of 2024</u>

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN GROUND WATER (CONSERVATION AND MANAGEMENT) AUTHORITY BILL, 2024

(As amended by the re-constituted select committee)

Note:- All omitted text and inserted new text by the first Select Committee have been shown in single-square-bracket and underlined, respectively; whereas all omitted text and inserted new text by the re-constituted Select Committee have been shown in double-square-brackets and bold italic fonts, respectively.

A

Bill

to establish the Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority for conservation and management of ground water resources within the State of Rajasthan for ensuring the judicious, equitable and sustainable utilization of ground water resources through management, regulation thereof, fix the rates for use of ground water abstraction and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the [Seventy-fifth] <u>Seventy-sixth</u> Year of the Republic of India, as follows:–

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Act, 2024.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) “Authority” means the Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority established under section 3;

(b) “category of usage” means the use of ground water resources for different purposes such as drinking, domestic, irrigation, industrial or commercial purposes and includes such other purposes, as may be specified by the Authority;

(c) “Chairperson” means the Chairperson of the Authority;

(d) “entity” means an organization or authority established under any law, including the Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zila Parishad, Municipality and any other Authority or Corporation established by the Central Government or the Government of Rajasthan or any of its department;

(e) “Government” means the Government of the State of Rajasthan;

(f) “ground water” means water occurring under its natural state, where it exists below the surface in the zone of saturation whereby it can be extracted through wells or any other means or emerges as springs and base flows in streams and rivers;

(g) “Member” means a Member of the Authority;

(h) “person” includes an individual, a company, a firm, an association of individuals or a body of individuals, whether incorporated or not;

(i) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;

(j) “regulations” means the regulations made by the Authority under this Act;

(k) “rules” means rules made under this Act;

(l) “State” means the State of Rajasthan;

(m) “Sub-surface entitlement” means an individual or Bulk Water Entitlement to a volumetric quantity of water to be extracted in the command area of the irrigation project from a tube well, bore well or other well or by any other means of extraction of sub-surface water or a group or field or wells duly and legally permitted, registered and constructed in accordance with the standards specified by the Authority;

(n) “volumetric” means a measurement of water on the basis of volume;

(o) “water” means ground water; and

(p) “Water Infrastructure” means any water extraction or harvesting or conservation structure.

3. Establishment and incorporation of Authority.- (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette and with effect from such date, as may be specified in the notification, establish, for the purposes of this Act, an Authority to be called the Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority.

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable, and to contract and do all things necessary for the purposes of this Act and shall by the said name, sue or be sued.

(3) The Authority shall consist of following members, namely:-

1.	person who has served as Chief Secretary/	Chairperson;

Additional Chief

Secretary/ Principal

	Secretary/ Secretary to the Government/Chief Engineer, Ground Water Department	
2.	two Members of Legislative Assembly	Member;
[2]3	the Secretary to the Government, Department of Ground Water	Ex-Officio Member;
[3]4	the Secretary to the Government, Department of Finance	Ex-Officio Member;
[4]5	the Chief Engineer, Ground Water Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[5]6	the Director/ Commissioner, Agriculture Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[6]7	the Director/ Commissioner, Horticulture Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[7]8	the Member Secretary, Rajasthan Pollution Control Board	Ex-Officio Member;
[8]9	the Chief Engineer (Rural), Public Health and Engineering Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[9]10	the Chief Engineer, Water Resource Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;

[10]11	the Director/ Commissioner, Industries Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[11]12	the Regional Director, Central Ground Water Board, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[12]13	the Principal Chief Conservator of Forest, Forest Department, Rajasthan	Ex-Officio Member;
[13]14	two subject experts having long standing working experience of ground water management in the State of Rajasthan	Member;
[14]15	Secretary, Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority	Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(4) The Chairperson and Members other than ex-officio Members of the Authority shall be nominated by the Government, in the manner as may be prescribed.

(5) The Authority shall, within one month from the date of occurrence of any vacancy by reason of death, resignation or removal of the Chairperson or Member and six months before the

end of tenure of any Member, make a reference to the Government for filling up of the vacancy.

(6) The head office of the Authority shall be at Jaipur.

4. Qualifications of Chairperson and Members.- (1) The Chairperson of Authority shall be a person who has served as Chief Secretary/Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary to the Government with having experience in the field of Science and Technology/Engineering matters connected with water resources management and administration or who has served as Chief Engineer, Ground Water Department with having three years experience on that post.

(2) The members other than ex-officio members and Members of Legislative Assembly shall be a person of ability, integrity and standing, who have minimum experience of twenty year in dealing with management of water resources including Science, Technology or Engineering matters concerned with water resources.

5. Term of office, salary and allowances and other conditions of service of Chairperson and Members other than ex-officio members.- (1) No person shall serve as Chairperson or Member other than ex-officio member and Members of Legislative Assembly to be nominated by the State Government, after he has attained the age of sixty-five years or maximum two terms of three years, from the date on which he enters upon his office, whichever is earlier.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Chairperson and Members other than ex-officio members shall be such, as may be prescribed.

(3) The Chairperson and Member shall, before entering upon his office, make and subscribe to an oath of office and secrecy in such form and in such manner and before such Authority, as may be specified by regulations.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), the Chairperson or any Member other than ex-officio member may,-

(i) relinquish his office by giving in writing, to the Government, a notice of not less than three months; or

(ii) be removed from his office in accordance with the provisions of section 6.

6. Removal of Chairperson or Member other than ex-officio member.- (1) The Government may, institute an inquiry and based on findings, by order, may remove from office, the Chairperson or any Member other than ex-officio member, if the Chairperson or such Member as the case may be,-

(i) has been adjudged an insolvent; or

(ii) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Government, involves moral turpitude; or

(iii) has become physically or mentally incapable of acting as Chairperson or Member; or

(iv) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as Chairperson or Member; or

(v) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(vi) if a declaration under sub-section (3) is found to be false or untrue; or

(vii) any other ground, as may be prescribed:

Provided that the Chairperson or any Member shall not be removed from his office under clauses (iv) to (vii) without being given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The Government may, during the period of inquiry, as mentioned in sub-section (1), against the Chairperson or any Member other than ex-officio member, suspend such Chairperson or Member from discharging the duties of his office.

(3) The Chairperson and Members shall, as soon as may be after nomination and every year thereafter, make a declaration, in such form and manner, as may be specified by regulations, on the extent of his interest, whether direct or indirect and whether pecuniary or otherwise, concerning or related to the affairs of the Authority and the declaration so made shall be placed on the website of the Authority.

7. Staff of Authority.- (1) The Government may appoint Chief Engineer of Ground Water Department as Secretary of the Authority to exercise such powers and perform such functions, as may be specified by regulations. The post of Secretary shall be ex-cadre post in Ground Water Department.

(2) The salary, allowances and other terms and conditions of service of the Secretary, shall be such, as may be prescribed.

(3) The Authority may with the prior approval of the Government, appoint such officers and other staff, in such manner and with such qualifications and experience, as may be specified by regulations.

(4) The salary, allowances payable to and other terms and conditions of service of officers and other staff of the Authority shall be such, as may be prescribed.

(5) The Authority may, with the prior approval of the Government, from time to time, depute any Government officer or appoint expert in the field of ground water sector, administration or engineering, as deemed necessary, on temporary basis, as may be specified by regulations.

(6) The Authority may, with the prior approval of the Government, appoint or hire, on such terms and conditions,

consultants, Non-Government Organization or third party agencies to assist the Authority to discharge its functions, on temporary basis, as may be specified by regulations.

8. Proceedings of Authority.- (1) The Authority shall meet at the head office, at such time, as the Chairperson may direct and shall observe such rules of procedure with regard to the transaction of business at its meetings, as may be specified by regulations.

(2) The quorum necessary for the transaction of business at a meeting of the Authority shall not less than one third of its members.

(3) The Chairperson, if he is unable to attend a meeting of the Authority, any other member nominated by the Chairperson in his behalf and, in the absence of such nomination or where there is no Chairperson, any Member chosen by the Members present from amongst themselves, shall preside over the meeting.

(4) All issues which come up before any meeting of the Authority shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting, and in the event of an equality of votes, the Chairperson or the person presiding shall have the right to exercise a second or casting vote.

(5) Same as otherwise provided in sub-section (4), every Member shall have one vote.

(6) In case the Chairperson is unable to perform his duties due to illness or otherwise for a period of more than one month, the Government may nominate one of the Members to discharge the duties of the Chairperson till a Chairperson is appointed or he rejoins office, as the case may be.

(7) All orders and decisions of the Authority shall be authenticated by the Secretary or any other officer of the Authority duly authorized by the Chairperson in this behalf.

(8) If the Ex-officio Member is unable to attend the meeting of the Authority, he shall nominate any officer, not below the rank of Deputy Secretary, to attend the meeting.

9. Vacancy not to invalidate act or proceedings.- No act or proceedings of the Authority shall be questioned or shall be invalidated merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Authority.

10. District Ground Water Conservation and Management Committee.- (1) There shall be a District Ground Water Conservation and Management Committee at each district of the State, which shall prepare District Ground Water Conservation and Management Plan.

(2) The composition of the District Ground Water Conservation and Management Committee shall be such, as may be prescribed.

(3) The District Ground Water Conservation and Management Committee shall submit the District Ground Water Conservation and Management Plan to Ground Water Department and shall execute all the directions of Authority under section 13.

11. State Ground Water Conservation and Management Plan.- (1) The Ground Water Department in consultation with other aligned departments shall prepare the State Ground Water Conservation and Management Plan taking into account progressively available information regarding water resources, including aquifer:

Provided that before finalizing the State Ground Water Conservation and Management Plan the Ground Water Department shall submit the Plan to the Authority for evaluation.

(2) The Authority shall evaluate and appraise the State Ground Water Conservation and Management Plan.

(3) The objectives of the Ground Water Conservation and Management Plan shall be attainment of augmentation of Ground Water Resources for sustainability and their management.

12. Review of State Ground Water Conservation and Management Plan.- (1) The Authority shall review, within three years from the notification issued under sub-section (1) of section 3, and as and when required thereafter, the Ground Water Conservation and Management Plan for the State.

(2) The Government may, on the recommendation of the Authority, if deemed necessary, divide the State into different categories other than Ground Water Resource Estimation Committee guidelines based on the trend of ground water level depletion, the level of water table, quality of ground water, availability of surface water or other relevant criteria, as it may deem appropriate in view of the local conditions:

Provided that the categorisation shall not take effect unless a notice in this regard is published and objections, if any, are decided in such manner, as may be prescribed.

(3) The Authority may, with prior approval of the Government, conduct or cause to be conducted, annually or at such periods, as the Authority may deem necessary, field studies for the purpose of categorisation of the State into zones of ground water resource potential, usage and recharge.

(4) Based on the categorisation under sub-section (2), the Authority shall suggest/advise for any area within the State in such manner, as may be prescribed and it shall cover all aspects of demand and supply of water for various purposes.

(5) The Authority shall place advice/suggestions before the Government or any authority authorised by the Government in this behalf, which may, with such modifications as deemed necessary, approve it within a period of six months from the date of approval of aforesaid modifications.

13. Powers, functions and duties of Authority.- (1) The Authority shall prepare and get approved a framework from the Government, for granting permissions under section 14 or to achieve any other purposes of this Act.

(2) The Authority shall evaluate and appraise the State Ground Water Conservation and Management Plan when received from the Ground Water Department. It shall review the Plan as and when required.

(3) The Authority may, with prior approval of the Government, issue directions, by giving notice, if any, in such form and in such manner, as may be prescribed, regarding the development, use, conservation and management of ground water resources in accordance with the Ground Water Conservation and Management Plan which may include the following, namely:-

(a) conditions for operation of existing ground water extracting structures and their regularization;
(b) restrictions on the utilization of ground water;
(c) specifying areas in which the ground water users including industrial operations or processes utilizing ground water shall not be carried out or shall be carried out subject to certain conditions and safeguards;
(d) registration of all types of drilling rigs with the authority or with such entity, as may be specified by the authority within a given period;
(e) drilled or already dug structures for extraction of ground water without registration;
(f) users drawing ground water through any kind of [energies] energy means to register the extraction structure with the Authority or with such entity, as may be specified by the Authority within a given period;

(g) efficient use of ground water and to minimize the wastage or misuse of water and to promote recycling and reuse of water;

(h) installation and maintenance of instruments for measuring the quality and level of ground water and for volumetric measurement of the quantum of ground water extraction among various stake holders;

(i) water conservation and ground water recharge, including rainwater harvesting;

(j) any other directions, as may be considered necessary to achieve the objectives of this Act.

(4) The Authority may, publish or cause to be published such reports to disseminate scientific data and information to generate public awareness about ground water and its management.

(5) The Authority shall make recommendations to the Government for the establishment of a system for enforcement, monitoring and measurement of the quality and type of ground water use in compliance with the entitlements as issued by the Authority.

(6) The Authority shall recommend Bulk Water Entitlements for rural water supply, municipal water supply or industrial /commercial water supply.

(7) The Authority shall have the power to take *suo-moto* cognizance of any subject dealing with or involving ground water and issue directions with prior approval of the Government.

14. Permissions.- Any entity or person, who intends to use ground water shall apply to the Authority, in such form and in such manner, along with such fee, for permissions for proposed and existing ground water extraction structures, as may be prescribed, [[however no such permission shall be required for extraction of ground water for agricultural purpose.]] ***however no such***

permission shall be required for extraction of ground water for purposes or conditions as notified by the State Government in public interest.

15. Relaxation of restrictions.- The Government may, in consultation with the Authority, by notification in the Official Gazette, relax any restriction imposed under this Act.

16. Tariff for use or disposal of ground water.- (1) The Authority shall recommend to the Government, a tariff for all uses of ground water.

(2) The tariff shall be determined by the Authority and shall be based on the principles of economy, efficiency, equity and sustainability, in such manner, as may be prescribed. As far as possible, the tariff shall be based on volumetric measurements of water consumption and shall be designed reasonably.

(3) The tariff shall be revised as per need/prevailing circumstances after approval of the Government.

17. Power of Authority to appoint Enquiry Officer.- (1) The Authority may appoint any of its officers or, in consultation with the Government, such officer as may be nominated by the Government, as Enquiry Officer for the purposes of making any inquiry under this Act:

Provided that nothing in this section shall prevent the Authority to conduct any inquiry on its own.

(2) The Authority or the Enquiry Officer appointed under sub-section (1), shall have the powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) in respect of the following matters, namely:-

(i) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(ii) requiring the discovery and production of documents;

(iii) receiving evidence on affidavits;

(iv) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(v) issuing summons for examination of witnesses.

(3) The Enquiry Officer shall, on conclusion of the inquiry, present his report to the Authority:

Provided that the Enquiry Officer shall, submit interim report to the Authority, as and when required by the Authority.

(4) The Authority may, on the conclusion of the inquiry, made by the Authority or on receipt of the final or interim report from the Enquiry Officer, take such action as it deems fit, subject to the provisions of this Act.

18. Power of entry and inspection.- Any person appointed as Enquiry Officer or any officer nominated by the Government under section 17, shall have the right to enter, at all reasonable times with such assistance, as he may consider necessary, any place for the purpose of determining whether and, if so, in what manner, orders or directions given by the Authority under this Act are being complied with.

19. Unauthorized acts.- (1) A person or entity shall be liable for such penalty, as may be prescribed, for unauthorized acts, if such person or entity,-

(i) constructs or installs new ground water extraction structure or makes alterations in existing structures without permission in such areas where such permission is required under the provisions of this Act;

(ii) violates any terms and conditions imposed by the Authority under the provisions of this Act;

(iii) exploits or degrades or pollutes the quality of ground water or harms or causes to be harmed in order to degrade the quality of ground water;

(iv) drills or digs for extraction of ground water without prior permission, as may be prescribed;

(v) causes hindrance or abets hindrance in the works of water infrastructure;

(vi) damages or caused to be damaged or abet to damage any water infrastructure; and

(vii) commits such acts or violates such conditions, as may be prescribed.

<u>(2) Any entity or person held liable under this section, shall on second and every subsequent commission of unauthorized act of the same nature, be liable to penalty which shall be five times the penalty as prescribed under sub-section (1).</u>

20. Compounding of unauthorized acts.- (1) The Authority may compound an unauthorized act on payment of such penalty, as may be prescribed. The amount of penalty shall be deposited with the Authority.

(2) On payment of penalty referred to under sub-section (1), no further proceedings shall be taken against the person committing unauthorized acts, in respect of the same act and any proceedings, if already taken or initiated, shall stand abated.

21. Offences by companies.- (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who at the time, when the offence was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this

Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he has exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or association of persons or body of individuals, whether incorporated or not;

(b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm and in relation to any association of persons or body of individuals, means any member controlling the affairs thereof.

22. Punishment for offences.- Whoever fails to comply with or contravenes any direction or order issued under this Act or abets the contravention or non-compliance thereof, shall be deemed to have committed an offence under this Act and shall, on conviction, be punishable,-

(i) for the first offence, with a fine upto fifty thousand rupees; and

(ii) for the subsequent offence, with an imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one lakh rupees, or both.

23. Cognizance of offences.- No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a

complaint, in writing, made by the Authority or by any officer duly authorized by the Authority.

24. Fund of Authority.- (1) The Authority shall have and maintain a separate Fund to be called the Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Fund to which, the following shall be credited, namely:-

(i) any grants and loans made to the Authority by the Government or Central Government or loans from any financial agency with the prior concurrence of the Government;

(ii) all fees, charges and penalty received by the Authority; and

(iii) all sums received by the Authority from such other sources, as may be decided by the Government.

(2) The Fund shall be applied for meeting,-

(i) the salary, allowances and other remuneration of the Chairperson, Members, Secretary, officers and other employees of the Authority;

(ii) the expenses of the Authority in the discharge of its functions under this Act; and

(iii) the expenses incurred to achieve the objects and purposes authorised by this Act.

(3) The Government shall prescribe the manner of applying the Fund for meeting the expenses mentioned in clause (ii) and clause (iii) of sub-section (2).

(4) The Fund shall be maintained in a Personal Deposit Account or as directed by the Government.

25. Accounts and Audit.- (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual

statement of accounts including the balance sheet in such form and manner, as may be prescribed.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Principal Accountant General of Rajasthan/ Accountant General of Rajasthan and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority.

(3) The Principal Accountant General of Rajasthan/ Accountant General of Rajasthan and any person appointed by him in connection with the audit of accounts of the Authority shall have the same rights, privileges and Authority in connection with such audit as the Principal Accountant General of Rajasthan/ Accountant General of Rajasthan has in connection with the audit of the Government accounts and in particular, shall have right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers and to inspect the office of the Authority.

(4) The accounts of the Authority as certified by the Principal Accountant General of Rajasthan/ Accountant General of Rajasthan or any person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon and an explanatory memorandum on the action so taken or proposed to be taken shall be forwarded annually to the Government and the Government shall cause a copy of the same to be laid before the House of the State Legislature.

(5) The Authority shall cause the accounts of the Authority together with the audit report and the explanatory memorandum to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the House of the State Legislature under sub-section (4).

26. Annual Report.- (1) The Authority shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the annual report to the Government in such form and manner and on or before such date, as may be prescribed and the Government

shall cause the report to be laid before the House of the State Legislature.

(2) The report referred to in sub-section (1) shall include an explanatory memorandum on the status of implementation of the annual plan of action on relief measures, schemes implemented along with gaps and shortfalls, if any, in implementation and reasons for such shortfall.

(3) The Authority shall cause the report together with the explanatory memorandum to be placed on the website of the Authority after the report has been laid before the House of the State Legislature under sub-section (1).

27. Directions by Government.- (1) The Government may issue to the Authority such general or special directions in writing in matters of policy involving public interest and the Authority shall be bound to follow and act upon such directions.

(2) If any question arises as to whether any such direction relates to a matter of policy involving public interest, the decision of the Government thereon shall be final.

28. Chairperson, Members, officers and other staff of the Authority to be public servants.- The Chairperson, Members, officers and other employees of the Authority and every other officer exercising any of the powers conferred by this Act or rules or regulations made thereunder, shall be deemed to be a public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

29. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything done or intended to be done in good faith in pursuance of the provisions of this Act or rules or regulations made thereunder.

30. Power to make rules.- (1) The Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) Every rule made under this Act shall be published by the State Government in the Official Gazette.

31. Power to make regulations.- The Authority may, by notification, make regulations for all or any of the matters provided under this Act which in the opinion of the Authority, are necessary for the exercise of its powers and the discharge of its functions under this Act.

32. Effect of other laws.- (1) The provision of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other State law for the time being in force.

(2) The provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

33. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with this Act, as it deems necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order under this section shall be made after expiry of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every notification issued under this section shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the House of State Legislature.